27

भारतीय संविधान

* *बरनार्ड डी सामी*

प्रस्तावना

भारत के संविधान का ज्ञान प्राप्त करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकता प्रशिक्षण की नींव डालता है। शिक्षार्थी को हमारे संविधान की विभिन्न विशेषताओं जैसे समाजवाद के सिद्धान्त, धर्म निरपेक्षता, मूल अधिकार, मूल कर्त्तव्य तथा *कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका* की कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया है। संविधान अध्ययन का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जिनमें अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में अधिक सजगता हो और जो भारत को शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने में विश्वास करते हों।

भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ

भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ शिक्षार्थियों के सम्मुख संविधान की समाहित विशेषताओं को प्रकट करना है।

विश्व में वृहत्तम संविधानः 2 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया भारतीय संविधान विश्व में सबसें बड़ा है। यह मूल रूप से 395 अनुच्छेदों 22 भागों और 9 अनुसूचियों में विभाजित है। जनवरी 2003 तक हमने इसमें 93 संशोधन शामिल किए हैं। यह अनेक विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण है।

आदर्शः लागू प्रावधानों के द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को शामिल किया गया है तथा इसे विस्तृत बनाया गया है।

समाजवाद और धर्मनिरपेक्षताः संविधान की प्रस्तावना में 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 'समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता' शब्द शामिल किए गए हैं।

---

* *डॉ. बरनार्ड डी सामी, लोयोला कालेज, चेन्नई*

'समाजवाद' का अर्थ है उत्पादन संसाधनों का राष्ट्रीयकरण तथा धन का समान वितरण जबकि 'धर्मनिरपेक्षता' का उद्देश्य है धर्म को राज्य से पृथक रखना।

प्रभुत्वसंपन्नता जनता में निहित है: संविधान की प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा अपनाया और लागू किया गया है तथा वह गणतंत्र का अभिरक्षक है।

सरकार का संसदीय स्वरूप: भारत का संविधान केन्द्र और राज्यों में सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना करता है। सरकार के संसदीय स्वरूप में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद सरकार के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं विशेषतः निचले सदन लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जब उनका विश्वास लोगों में समाप्त हो जाता है तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि वे त्यागपत्र देने से मना करते हैं तो विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को सत्ता से हटा देते हैं।

कठोरता और लचीलेपन का अद्वितीय मिश्रण: यद्यपि भारत का संविधान लिखित है तो भी यह अमेरिकी संविधान की तरह कठोर नहीं है। इसमें संशोधनों के लिए प्रक्रियाओं में लचीली प्रकृति अपनाई गई है। तीन पद्धतियों द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। दूसरे शब्दों में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल, स्पष्ट तथा सुपरिभाषित है, जटिल नहीं है।

मूल अधिकार: संविधान के भाग III के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों से संबंधित हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वातंत्र्य अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, सांविधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व: संविधान का भाग IV *सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों* से संबंधित है। इन्हें कानून द्वारा न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान में निहित कल्याणकारी राज्य की संकल्पना तभी सार्थक हो सकती है। जब नैतिक कर्त्तव्य की उच्च भावना के साथ राज्य इन्हें लागू करने का प्रयत्न करें।

अर्ध-संघीय स्वरूपः राज्य का स्वरूप इस अर्थ में संघीय है कि अधिकार संघ और राज्य के बीच विभाजित हैं। लेकिन बाहरी खतरे के कारण उत्पन्न आपात् स्थितियों में संघ सरकार का स्वरूप एकात्मक हो जाता है और सभी राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाता है।

वयस्क मताधिकारः 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रताः अधिकारों के पृथक्करण के नियमों के अनुसार भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका के स्वतंत्र होने की विशेषताएँ हैं राष्ट्रपति द्वारा सीधी नियुक्ति, तथा एक तरफ बेहतर वेतन एवं भत्ते प्रदान करने के साथ न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा सहज ढंग से पदच्युत नहीं किया जा सकता।

न्यायिक पुनरीक्षणः भारत ने यह विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की है। संघ या राज्य सरकार द्वारा पारित कोई कानून भारत की जनता को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर न्यायपालिका द्वारा असांविधानिक या अकृत घोषित किया जा सकता है।

मूल कर्त्तव्यः संविधान में मूल कर्त्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 51क के अंतर्गत मूल कर्त्तव्यों के रूप में 10 कर्त्तव्य शामिल किए गए हैं।

संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना (Preamble) संविधान का परिचय है। यह हमारे देश के सिद्धान्त के अनुसार लक्ष्य, मूल्य और आदर्श स्थापित करती है। प्रस्तावना में विनिर्दिष्ट उद्देश्य हमारे संविधान की मूल आत्मा है जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके परिवर्तित नहीं किया जा सकता (देखें *केशवानंद भारती* बनाम *केरल राज्य,* ए आई आर 1973 एस सी 1461 तथा *इंदिरा गांधी* बनाम *राजनारायण,* ए आई आर 1975 एस सी 2299)

प्रस्तावना संविधान का एक भाग है जिसका पठन इस प्रकार हैः

"**हम भारत के लोग** भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने** के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों कीः

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समानता**
प्राप्त करने के लिए
तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**
बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में**
आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता तथा देश की एकता और अखंडता शब्द शामिल किए गए। अनेकतावाद भारतीय संविधान का मूल सिद्धान्त है जबकि धार्मिक सहिष्णुता भारतीय धर्म निरपेक्षता की नींव का पत्थर है।

प्रस्तावना को (क) मूल अधिकारों तथा (ख) राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का दायरा निर्धारित करने में भी शामिल किया जा सकता है। प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने के लिए प्रभुतासंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रकट हुआ है।

हम भारत के लोगः भारत के लोगों से शासन का अधिकार ग्रहण करते हैं अतः प्रभुता भारत की जनता में निहित है।

प्रभुत्वसंपन्नः इसका अर्थ है कि अब भारत किसी विदेशी देश के आधिपत्य में नहीं है और कोई बाहरी शक्ति इसके निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकती। यह स्वतंत्र और स्वाधीन देश है। यह विदेशी प्रदेश का अधिग्रहण कर सकता है और यदि आवश्यक है तो किसी विदेशी राज्य के पक्ष में प्रदेश के भाग को सत्तांतरित कर सकता है।

समाजवादीः समाजवाद की अनेक परिभाषाएँ हैं परन्तु एक सर्व स्वीकृत व्याख्या है उत्पादन के संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और धन का समान वितरण। दूसरे शब्दों में निजी सम्पत्ति का अभाव।

धर्मनिरपेक्षताः इसका अर्थ है कि राज्य धर्म पर तटस्थत रहता है। यह राज्य और धर्म की पृथकता है। भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं है। धर्म निरपेक्षता सभी प्रावधानों में है जो सभी व्यक्तियों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने के संपूर्ण अवसर प्रदान करता है। सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। राज्य न तो सैद्धान्तिक है और न ही नास्तिक है।

लोकतंत्रात्मकः *लोकतंत्र* को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र कार्यान्वित करने के दृष्टिकोण से अपनाया गया है। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करना। आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है आमदनी और धन वितरण के संदर्भ में धनी और निर्धन के बीच अंतराल को समाप्त करना।

गणतंत्रात्मकः चूँकि संविधान स्वयं लोगों ने अपने लिए बनाया है अतः इसके द्वारा राज्य का गणतांत्रिक और लोगों की प्रभुता को दृढ़तापूर्वक स्वीकार किया गया है।

स्वतंत्र भारत में गणतंत्र प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसका अर्थ है कि हमने एक सिरे से क्रमिक शासन अपनाया है। (ब्रिटिश शासन में हम राजतंत्र या ताज के अधीन थे)

न्यायः न्याय शब्द यथासंभव व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिसे न्याय के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपाय के उद्देश्य जोड़कर स्पष्ट किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए वातावरण उत्पन्न करना है अपितु जाति, सम्प्रदाय, नस्ल, धर्म या अन्य किसी चीज पर आधारित समाज में विद्यमान किसी भी रूप में भेदभाव के विरुद्ध सकारात्मक कार्य करना है।

स्वतंत्रताः इस बुनियादी स्वतंत्रता की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा की गई थी। हमारा संविधान विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता – सामाजिक, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है जोकि संविधान के भाग III में मूल अधिकारों के माध्यम से जोड़ी गई है।

समता: संविधान में शामिल कानून के समक्ष समानता और लोकतंत्र द्वारा सबकी रक्षा मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रदान की गई है।

बंधुत्व (Fraternity): डॉ. अम्बेडकर के अनुसार "बंधुत्व सभी भारतीयों में भाईचारा और भगिनीत्व की भावना है।" उनका स्पष्ट विचार था कि बंधुत्व के बिना "समानता और स्वतंत्रता ऊपरी दिखावे से अधिक कुछ नहीं है।" स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मिलकर इस अर्थ में संरचना करते हैं कि एक को दूसरे से पृथक करने पर लोकतंत्र का संपूर्ण उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

संविधान का संरचनात्मक रूप काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से तथा इसका दार्शनिक भाग कई अन्य स्रोतों से ग्रहण किया गया है। हमारे संविधान में मूल अधिकार अधिकांशतः अमेरिकी संविधान में वर्णित बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं जबकि राज्य की नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। हमने मत्रिपरिषद सरकार और कार्यपालिका विधामंडल संबंध ब्रिटिश अनुभवों से शामिल किए हैं। संघ-राज्य संबंधों का स्रोत कनाडा का संविधान रहा है जबकि समवर्ती सूची, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार तथा व्यापार और व्यावसायिक मामले आस्ट्रेलियाई संविधान से प्राप्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त हमारे अपने पंचायत, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसे अनेक स्वदेशी अभिनव विचार भी इसमें शामिल हैं।

संविधान एक सजीव एवं जैविक वस्तु है। यह केवल कानून की पोथी ही नहीं है अपितु ऐसी तंत्र प्रणाली भी है जिसके माध्यम से कानून बनाए जाते हैं।

मूल अधिकार

सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक और नागरिकों को प्रदत्त अधिकार मूल अधिकार हैं। संविधान के भाग III में समाहित मूल अधिकार मुख्यतः मानवाधिकारों की विश्व घोषणा, 1948 (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) से तथा अमेरिकी संविधान में शामिल बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। संविधान में मूल अधिकारों का परम महत्व है क्योंकि यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों के विपरीत या उनकी मूल भावना के विरुद्ध सभी कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। राज्य संविधान के भाग III में प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करने या कम करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगा। मूल अधिकार व्यक्ति के

सम्मान की रक्षा करने तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा व्यक्तित्व का यथा बनाया जाएगा संभव अधिकतम विकास करने के लिए वातावरण का निर्माण करने के लिए प्रदान किए गए हैं। सांविधानिक उपचार मूल अधिकारों को क्रियाशील, सक्रिय और क्रियात्मक बनाता है।

मूल अधिकारों का वर्गीकरणः मूल अधिकारों को उनके स्वरूप के आधार पर सामान्यतः निम्नलिखित छह समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

क) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

ख) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

ग) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

घ) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

ङ) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

च) सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32-35)

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

अनुच्छेद 14 – राज्य भारत प्रदेश में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों की सबको रक्षा से मना नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 के स्रोत अमेरिकी और बिटिश हैं। कानून के समक्ष समता का अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और नकारात्मक अर्थ में अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेषाधिकार का अभाव जबकि कानूनों की सबको सुरक्षा अमेरिका से ली गई है परन्तु इसका सकारात्मक अभिप्राय है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। इस अधिकार के साथ अनुप्रयोग के लिए *उपयुक्तता* का तथ्य एक महत्वपूर्ण परिणाम है। यह अधिकार विदेशियों और अजनबी व्यक्तियों तक को समान रूप से प्राप्त है।

समता के सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या करने के लिए अनुच्छेद 15 निदेशित करता है कि राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह भेद का निषेध करता है लेकिन राज्य को विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15 – खण्ड (1) राज्य द्वारा नागरिकों के बीच केवल धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी अन्य के आधार पर विभेद करने को प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 15 खण्ड (2): दुकानों, सार्वजनिक रेस्तराओं, होटलों, तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर जाने अथवा राज्य निधि से पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से देखभाल किए जाने वाले अथवा आम जनता के प्रयोज्य वाले कुँओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक आश्रय स्थलों के प्रयोग में राज्य और नागरिकों द्वारा विभेद को प्रतिषेध करती है। विशेष सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए यह महिलाओं और बच्चों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। (अनुच्छेद 15(3)) और नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। (अनुच्छेद 15(4))

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोज़गार में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश या आवास के आधार पर किसी रोज़गार या राज्याधीन कार्यालय के लिए किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं किया जाएगा या अयोग्य नहीं माना जाएगा। दो अतिरिक्त आधार वंश और आवास जो अनुच्छेद 15 में समाहित नहीं थे अनुच्छेद 16 में जोड़े गए हैं।

अनुच्छेद 16-(4) नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण प्रदान करता है जिनका राज्य के विचार में राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत हमार संविधान अस्पृश्यता का अंत करता है तथा किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। इन अनुच्छेद के पालन के लिए संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया। इसका पुनः नामकरण सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1995 किया गया। फिर कानून को मज़बूत बनाने के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम कानून, 1995 बनाए हैं।

इसी प्रकार राज्यों ने स्वतंत्र और स्वाधीन भारत में नागरिकों में समानता उत्पन्न करने के लिए सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया है और भी सैन्य और शैक्षिक

विशिष्टताएँ इस प्रावधान से मुक्त हैं क्योंकि ये राज्य की सैन्य शक्ति में संपूर्णता के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22): मूल अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता की व्याख्या अनुच्छेद 19-22 में की गई है। सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति का, निःशस्त्र शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का, संस्था या संघ बनाने का, देश में स्वतंत्र अबाध संचरण का, तथा कहीं भी निवास स्थान बनाने का अधिकार है।

नागरिकों को अपने विश्वास और विचारों को मौखिक लेखन, मुद्रण, चित्रण या अन्य किसी रूप में स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं प्रेस की स्वतंत्रता। इसलिए समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का पूर्व नियंत्रण अवैध ही उपर्युक्त अधिकारों पर कुछ उपयुक्त बंधन भी है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण के कुछ आधार इस प्रकार हैं:

(i) राज्य की सुरक्षा, (ii) विदेशों के साथ मैत्री संबंध, (iii) सार्वजनिक व्यवस्था, (iv) शालीनता और नैतिकता, (v) अदालत की अवमानना, (vi) मानहानि, (vii) किसी अपराध की उत्तेजना, और भारत की प्रभुत्व-सम्पन्नता और अखंडता।

एकत्रित होने के अधिकार में सभा आयोजित करने तथा जूलुस निकालने का अधिकार शामिल हैं। इस अधिकार पर शांतिपूर्ण और निर्आयुद्ध के प्रतिबंध हैं। नागरिकों को संघ बनाने उसमें या ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को कहीं भी रहने और बसने का अधिकार है लेकिन इस पर नियंत्रण के आधार में शामिल आम जनता तथा राज्य के हित को देखना शामिल है। (अनुच्छेद 19(1)(घ))।

संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार तो नहीं लेकिन कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 19 (1)(च) के अंतर्गत नागरिकों को संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने का अधिकार है। इसे 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। फिर, सभी नागरिकों को उपयुक्त नियंत्रणों के साथ कोई कार्य, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार होगा। इसमें किसी व्यवसाय या कार्य या किसी व्यापार को करने के लिए जनता के हित में तथा आवश्यक निर्धारित व्यावसायिक या तकनीकी योग्यता का होना भी आवश्यक है।

भारत का संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध की तब तक कोई सजा नहीं दी जाएगी जब तक अधिनियम के लागू होने के समय विद्यमान कानून के उल्लंघन में अपराध का आरोप सिद्ध न करता हो। न ही दी जाने वाली सजा अपराध घटित होने के समय लागू कानून के अंतर्गत हो सकने वाली सजा से अधिक होगी। (इसे एक्स-पोस्ट फैक्टो कानून के नाम से जाना जाता है।) यह व्यक्ति को दोहरे एक्ट के विरुद्ध भी गारंटी प्रदान करता है अर्थात् व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। संविधान आत्म अभियोग का निषेध करता है इसका अर्थ है कि किसी भी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रताओं की रक्षाः इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि कार्यान्वयन अधिकारियों निरंकुश कार्रवाई के विरुद्ध नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। हमें निरंकुश हिरासत और कैद के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है। इस प्रकार अनुच्छेद 22 किसी साधारण कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चार अधिकार प्रदान करता है।.

i) यथा शीघ्र हिरासत के कारणों को सूचित करने का अधिकार

ii) अपनी पसंद के वकील से सलाह करने तथा उसे अपना प्रतिनिधि बनाने का अधिकार

iii) 24 घंटे के अंदर किसी दंडाधिकारी के समक्ष पेश करने का अधिकार, और

iv) दंडाधिकारी द्वारा आदेश को छोड़कर निर्धारित समय सीमा के बाद गिरफ्तारी से स्वतंत्र रहने का अधिकार।

फिर, अनुच्छेद 22 की उप-खण्ड (5-7) सुरक्षात्मक कैद से संबंधित है। सुरक्षात्मक कैद दंडात्मक कैद से विपरीत है। दंडात्मक कैद का उद्देश्य व्यक्ति को पहले किए गए किसी अपराध की सजा देना है जबकि सुरक्षात्मक कैद का उद्देश्य किसी कार्य की व्यक्ति को सजा देना नहीं अपितु यह किसी व्यक्ति को कुछ करने से पूर्व रोकना और उसे इस कार्य को करने से बचाना ही कैद की अवधि को 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 3 महीने से घटाकर कम किया गया है तथा

समीक्षा/परामर्श बोर्ड की संरचना को भी बदल दिया गया है। कुछ निम्नलिखित विद्यमान सुरक्षात्मक कैद कानून इस प्रकार हैं: मानव अधिकार कार्यकर्ता भी इन्हें ब्लैक लॉज (काले कानून) कहते हैं। (i) मीसा - आंतरिक सुरक्षा देखभाल अधिनियम, 1971 (Maintenance of Internal Security Act, 1971 – MISA), (ii) विदेशी मुद्रा एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 – COFEPOSA), (iii) टाडा आतंक और विघटनकारी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1985 (Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act, 1985 – TADA), (iv) पोटा - आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 2002 - पोटा (Prevetion of Terrorist Activities Act, 2002 – POTA)

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

अनुच्छेद 23 मानकों में भीख माँगना, दासता और बलात् लिए गए श्रम के ऐसे अन्य रूपों में व्यापार को प्रतिसिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 खण्ड (2) राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जबरदस्ती सेवाओं की अनुमति प्रदान करता है। मानवों के व्यापार का अर्थ है पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का बाज़ार वस्तुओं की तरह क्रय या विक्रय करना। इसमें दासता, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक कार्यों जैसे वेश्यावृत्ति और बलात् श्रम के अन्य स्वरूपों के लिए अनैतिक व्यापार शामिल हैं।

संविधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योगों में और जोखिम वाले रोज़गार में स्पष्ट रूप से प्रतिषिद्ध करता है। (अनुच्छेद 24) सरकार ने बच्चों के कार्य निषेध के लिए अनेक कानून बनाए हैं। कुछ कानून हैं बाल रोज़गार अधिनियम, 1938, बाल (श्रम का बंधक) अधिनियम, 1933, खदान अधिनियम, 1952 तथा बाल श्रमिक विनियमन अधिनियम, 1986।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

यद्यपि संविधान में धर्म शब्द की व्याख्या नहीं की गई है तो भी संविधान के आदर्शों में से एक धर्म निरपेक्षता की गारंटी प्रदान भी करता है। यह गारंटी प्रदान करता है कि क) स्वविवेक की स्वतंत्रता, ख) किसी धर्म को अपनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता पर उपयुक्त बंधन यह है कि धार्मिक स्वतंत्रताएँ सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन (अनुच्छेद

25)। फिर सार्वजनिक व्यक्ति, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को धार्मिक तथा सामाजिक कल्याण के लिए संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है।

क) अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबधन करने का;

ख) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का; तथा

ग) ऐसी सम्पत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होना।

धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके द्वारा किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से विमुक्त कर दिए गए हों यह राज्य का धर्मनिरपेक्ष सुनिश्चित करने के लिए है। इसी के कारण राज्य पूरी तरह पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नही दी जाएगी।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

राज्य का दायित्व होगा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए (अनुच्छेद 29)। यह अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए निम्नलिखित चार विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है:

क) नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार (अनुच्छेद 29(1))

ख) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। (अनुच्छेद 30(1))

ग) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के साथ इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हो। (अनुच्छेद 30(2))

घ) राज्य द्वारा पोषित या प्रबंध की जाने वाली संस्थाओं में किसी नागरिक को प्रवेश देने के लिए धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर मना नहीं किया जाएगा (अनुच्छेद 29(2))।

संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द की व्याख्या नहीं की गई है लेकिन इसका उद्देश्य व्यापक अर्थ में अर्थात् नागरिकों के वर्ग रूप में प्रयोग करना है। अल्पसंख्यकों

की भाषा, लिपि और संस्कृति के संदर्भ में रक्षा की जाएगी। राज्य द्वारा कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिसका कार्यान्वयन दमन या पूर्वाग्रह पूर्वक हो।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32-35)

अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावशाली तंत्र के अभाव में उनके प्रदान करने की व्यर्थता को अनुभव करते हुए संविधान निर्माताओं ने अध्याय III में ही सांविधानिक उपचारों के अधिकार शामिल किए हैं। अनुच्छेद 32 अपने मूल अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय इन अधिकारों को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। सांविधानिक उपचारों का अधिकार अन्यथा उपबंधित अवस्था अर्थात् अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति को छोड़कर निलम्बित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 32 को संविधान द्वारा स्थापित समग्र संरचना की आजाराण्डशिला कहा गया है। डॉ. अम्बेडकर ने इसे "संविधान का दिल और आत्मा कहा है" कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित याचिकाओं के माध्यम से समाधान प्राप्त कर सकता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of *Habeas Corpus*): इसका अर्थ है "सशरीर होना"। यह न केवल व्यक्तियों अषितु कार्यपालिका के निरंकुश कार्यों के विरुद्ध एक शक्तिशाली रक्षा उपाय है। यह याचिका स्वयं गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा, उसके संबंधियों, मित्रों आदि द्वारा दायर की जा सकती है। यह लेख गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार व्यक्ति के सशरीर अदालत में प्रस्तुत करने को विवश करेगी।

परमादेश लेख (Writ of *Mandamus*): इसका शाब्दिक अर्थ है "हम आदेश देते हैं" ये लेख संबंधित व्यक्ति को वह सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक कार्य करने का आदेश देता है जिसे करने से उसने इंकार कर दिया है तथा किसी अन्य विधि उपाय द्वारा उसका निष्पादन लागू नहीं किया जा सकता।

प्रतिषेध लेख (Writ of *Prohibition*): इसका साधारण अर्थ है मना करना या रोकना। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या शासन की संस्था को अपने न्यायाधिकार से बाहर या कानून अधिकारों से अधिक न्यायाधिकार का उल्लंघन करने पर मामले की कार्रवाई जारी रखने को वर्जित करने के निर्देश जारी करता है।

उत्प्रेषण लेख (Writ of *Certiorari*): इसका अर्थ है अधिक संपूर्णता से सूचित करना। यह अधीनस्थ न्यायालय पर उसके द्वारा किसी मामले में आदेश को निश्चित करने या समाप्त करने के बाद जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य उस आदेश को पक्का करना है। किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उस क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता जिसे वह धारण नहीं करता।

अधिकार पृच्छा लेख (Write of *Quo Warranto*): अधिकार पृच्छा लेख का अर्थ है 'किस वारंट के द्वारा' या 'किस आदेश के द्वारा' इस कार्रवाई के द्वारा न्यायालय उस दावे की वैधता की जाँच करता है जिसमें एक पक्ष सार्वजनिक पद पर अपना अधिकार बताता है और अधिकार नहीं पाए जाने पर उसे रोज़गार (पद) से हटा दिया जाता है।

मूल कर्त्तव्य

संविधान में मूल कर्त्तव्य 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भाग IV-क में अनुच्छेद 51क के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारत एक मात्र ऐसा देश है जहाँ संविधान में अधिकार और कर्त्तव्य साथ-साथ निहित हैं। अधिकार और कर्त्तव्य परस्पर संबद्ध हैं। भारत के नागरिकों के लिए निम्नलिखित दस कर्त्तव्य हैं:

क) संविधान के प्रतिबद्ध होना तथा इसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना।

ख) उन उच्च आदर्शों का सम्मान और पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष को प्रेरित किया है।

ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना।

घ) देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के आमंत्रण पर सेवाएँ प्रदान करना।

ङ) धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय भिन्नताओं से ऊपर उठकर भारत के सभी लोगों में सद्भावना और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के सम्मान को विकृत करने वाली परम्पराओं को त्यागना।

च) हमारी मिश्रित संस्कृति की बहुमूल्य विरासत का सम्मान करना तथा उसका संरक्षण करना।

छ) प्राकृतिक वातावरण जिसमें जंगल, झील, नदियाँ और वन्य जीवन शामिल हैं की रक्षा करना तथा उसमें सुधार करना और जीवों के प्रति दयावान होना।

ज) वैज्ञानिक, मानवीय, अन्वेषण तथा सुधारवादी प्रकृति का विकास करना

झ) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना

ञ) वैयक्तिक और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र परिश्रम और उपलब्धि के उच्च स्तरों में निरंतर प्रगति करता रहे।

इन कर्त्तव्यों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इन्हें लेखों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता बस सांविधानिक पद्धतियों से ही इनका प्रवर्तन किया जा सकता है। संविधान में इन्हें इस आधार पर शामिल किया गया है कि इनसे हमारा लोकतंत्र मज़बूत होगा। केवल शैक्षिक और जागरूक जनमत के माध्यम से ही देश के नागरिकों में देश के प्रति इन सांविधानिक कर्त्तव्यों के प्रति गर्व और कर्त्तव्य की भावना समाहित की जा सकती है।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उद्देश्य 'कल्याणकारी राज्य' की संकल्पना को साकार करना है। इस प्रकार *कल्याणकारी राज्य* के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों के पूरक के रूप में *निदेशकों* को रखा गया है। *राज्य की नीति के निदेशक तत्व* सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित हैं। दुर्भाग्य से इनका उल्लंघन होने पर कानूनी अदालत में न्यायोचित सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर भी *राज्य की नीति के निदेशक तत्व* देश के शासन में आधार हैं। ये वे दिशाएँ हैं जिनका नीतियाँ और कानून बनाते समय राज्य और कानून निर्माण संस्थाओं को ध्यान में रखना होता है।

राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को संविधान में उचित रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो भी इन्हें सुविधात्मक रूप से निम्नलिखत श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

समाजवादी तत्व

i) कुछ हाथों में केन्द्रित होने से बचाने के लिए लोगों के सभी वर्गों में धन और सामग्री संसाधनों का समान वितरण करना। (अनुच्छेद 38 और 39)

ii) सभी नागरिकों को जीवनयापन के पर्याप्त साधनों का प्रावधान करना (अनुच्छेद 43)

iii) पुरुषों और महिलाओं को समान और बराबर कार्य के लिए समान वेतन देना। (अनुच्छेद 39)

iv) कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। (अनुच्छेद 41)

v) कार्य की न्यूनतम और मानवीय दशाएँ, जीवन का श्रेष्ठ स्तर, अवकाश में भरपूर मनोरंजन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। (अनुच्छेद 42)

vi) सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और शक्तिशाली बनाए रखना और रक्षा करना।

vii) बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अक्षमता तथा आपात् आवश्यकता के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान।

viii) पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाना। (अनुच्छेद 47)

गांधीवादी सिद्धान्त

i) मादक द्रव्यों और ड्रग्स का निषेध (अनुच्छेद 47)

ii) गाँवों में पंचायतों की स्थापना (अनुच्छेद 40)

iii) 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना (अनुच्छेद 45)

iv) लोगों के कमज़ोर वर्गों और विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देना तथा उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से बचाना (अनुच्छेद 46)

v) गायों और बछड़ों व अन्य दुधारु तथा भारवाही पशुओं की हत्या को वर्जित करना तथा उनकी नस्ल सुधारने के लिए पशु पालन को बढ़ावा देना। (अनुच्छेद 48)

vi) आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से कृषि और पशु-पालन करना। (अनुच्छेद 48)

उदारवादी सिद्धान्त

i) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। (अनुच्छेद 51)

ii) राष्ट्रों में उचित और सम्मानजनक संबंध बनाना।

iii) संगठित व्यक्तियों में परस्पर व्यवहार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि समझौतों का सम्मान करना।

iv) अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने को बढ़ावा देना।

विविध

i) न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। (अनुच्छेद 50)

ii) राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ऐतिहासिक भवनों और स्थानों तथा वस्तुओं की रक्षा करना। (अनुच्छेद 49)

iii) संपूर्ण भारत प्रदेश के अंदर नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड (नागरिक संहिता) को मज़बूत करना। (अनुच्छेद 44)

राज्य की नीति के निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को साकार करने तथा सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सारांश

संविधान की मूल विशेषताएँ

हमारे संविधान की कुछ मूल विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1) विश्व में वृहदतम संविधान, 2) समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, 3) प्रभुता लोगों में निहित है, 4) सरकार का संसदीय स्वरूप, 5) कठोरता और लचीलेपन का अद्वितीय मिश्रण, 6) मूल अधिकार, 7) राज्य की नीति के निदेशक तत्व, 8) अर्धसंघीय स्वरूप, 9) वयस्क मताधिकार, 10) स्वतंत्र न्यायपालिका, 11) न्यायिक समीक्षा, 12) मूल कर्त्तव्य।

प्रस्तावना

प्रस्तावना संविधान का एक मात्र है और इसका अपना महत्व है। संविधान के किसी प्रावधान के विवाद के बारे में प्रस्तावना की सहायता से व्याख्या की जा सकती है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा तथा राष्ट्रीय एकता और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने की भारतीय लोगों के आदर्शों को साकार करती है।

मूल अधिकार

संविधान के भाग III में मूल अधिकारों की सूची है इन्हें निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

क) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

ख) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

ग) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

घ) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

ङ) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

च) सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32-35)

मूल कर्त्तव्य

मूल कर्त्तव्य संविधान के भाग IV क में दिए गए हैं तथा संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किए गए हैं। भारत एकमात्र देश है जिसके संविधान में अधिकार और कर्त्तव्य साथ-साथ दिए गए हैं। अधिकार और कर्त्तव्य परस्पर संबद्ध हैं।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में वर्णित हैं। ये तत्व न्यायसिद्ध तो नहीं हैं लेकिन देश के शासन के आधार तत्व हैं। ये सरकार के लिए परामर्श के रूप में हैं। जनसमर्थन खो देने के भय से जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन तत्वों को मौटे तौर पर निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

क) समाजवादी तत्व

ख) गांधीवादी तत्व

ग) उदारवादी तत्व

घ) विविध तत्व

कुछ उपयोगी पुस्तकें

बक्शी, पी. एम. (2004), *कंस्टिच्यूशन ऑफ इंडिया,* यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कं., दिल्ली

बासू दुर्गादास, (2001) *इंट्रोडक्शन टू द कंस्टिच्यूशन ऑफ इंडिया*।

जे.एन. पांडे (2001), *कंस्टिच्यूशन ऑफ इंडिया,* सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।

एम.बी. पिल्ले, (2001), *कंस्टिच्यूशन ऑफ इंडिया*।

स्कर्वे, *कंस्टिच्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया*।

सुभाष कश्यप, *सिटिजंस एंड कंस्टिच्यूशन,* पब्लिकेशन डिविजन, मई 1997।